<u>जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर</u>

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./12/डी– 1348 दिनांकः– 19.10.12

<u>कार्यवाही विवरण</u>

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **90वीं बैठक दिनांकः 23.09.12 को दोपहर 12.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		90:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 89वीं बैठक <u>दिनांक 05.07.12 के कार्यवाही</u> विवरण का अनुमोदन व 64वीं से 89वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 89वीं बैठक दिनांक 05.07.12:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 89वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अवशेष पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने पर आयुक्त महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :– 1. **प्रस्ताव सं.**–64:8, 66:7(7), 69:4(5), 75:8(21), 76:2(5), 82:8, 84:3, 86:3, 86:5, 87:7, 88:2, 88:3, 88:5, 88:8, 88:9, 88:10, 88:10(6), 89:4, 89:5, 89:6, 89:7, 89:10 89:11, 89:11(2), 89:11(3), 89:11(4), 89:11(5), 89:11(6) को पालना हो जाने के कारण ड्रॉप किये जावे। प्रस्ताव सं. 66:6 के संबंध में पृथक से प्राप्त एजेण्डा के निर्णयानुसार ड्रोप किया जावे। 2. **प्रस्ताव सं.–71:10(9) व 71:10(10)** काम्टेक केपीओ पार्क व टेक्नोस्क्राईब–ईन के लिए वैकल्पिक भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिये। 3. **प्रस्ताव सं.–74:6(1)** सिद्धार्थ कोन्वेन्ट स्कूल को आवंटित की गई भूमि के पेटे राशि जमा न कराने के कारण संस्था को आवंटन निरस्तीकरण का नोटिस जोन उपायुक्त द्वारा दिया जावे। 4. **प्रस्ताव सं.–75:8(11)** एस.सी.पी. एम एज्यूकेशनल ट्रस्ट को राज्य सरकार की नवीन नीति अनुसार सूचित किया जावे । 5. **प्रस्ताव सं.–78:3** पालडी मीणा वाम्बे आवासीय योजना में आवासीय विद्यालय हेतु आवंटित की गई भूमि के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा। अतः बी.एस.यू.पी. फण्ड की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार उपायुक्त जोन 10 पालना करें। 6. **प्रस्ताव सं.–78:18** भांकरोटा विकास प्रबन्ध समिति बनाम सरकार के न्यायालय प्रकरण में न्यायालय के निर्णय को गहनता से देखकर यह सुनिश्चित किया जावे कि विद्यालय हेतु कितनी भूमि दी जानी है। आयुर्वेद विभाग का आवंटन निरस्त कर दिया गया है अथवा नहीं। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता व न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में वस्तुस्थिति से उपायुक्त द्वारा अवगत कराया जावे। प्रकरण का

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

				प्राथमिकता से निस्तारण उपायुक्त द्वारा किया जावे। 7. **प्रस्ताव सं.–82:8(1), 86:7 व 87:10(6)** क्रमशः स्वेज फार्म, महावीर नगर योजना व रूप विहार में पानी की टंकी के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों में राज्य सरकार से निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विभाग को भूमि का कब्जा तुरन्त दिये जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित उपायुक्त द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जावे। 8. **प्रस्ताव सं. 84:4(3)** इस्लामी कमेटी मुरलीपुरा के प्रकरण में राज्य सरकार से सशर्त स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बारे में विधिक राय हेतु पत्रावली निदेशक (विधि) को भेजी गई है। उपायुक्त जोन 6 को निर्देशित किया गया कि वे निदेशक (विधि) से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण करे व पालना से आगामी बैठक से पूर्व अवगत करावे। 9. **प्रस्ताव सं.–87:10(4) व 87:10(5)** राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अखेपुरा हेतु 2000 वर्गमीटर व ग्राम पंचायत भवन अखेपुरा के लिए 0.15 हेक्टे. भूमि आरक्षित की गई थी, जिसको राज्य सरकार से निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कब्जा दिये जाने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 10. **प्रस्ताव सं. 88:7** टाबर सोसायटी को आवंटित 800 वर्गमीटर भूमि का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन हो चुका है। अतः शीघ्र आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। 11. **प्रस्ताव सं. 89:2** आर्च एज्यूकेशन सोसायटी के प्रकरण पर चर्चा की जाकर यह निर्देश दिये गये कि संस्था को आवंटन तिथि से ही ब्याज की गणना की जावे। 12. **प्रस्ताव सं. 89:3 व 89:9** श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती गोपी देवी एवं कंचन देवी मीणा को किये गये आवंटन का अनुमोदन जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति से कराने हेतु उपायुक्त जोन 5 व 4 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया जावे। 13. **प्रस्ताव सं. 65:3, 69:4, 71:10(2) व 76:2(7)** के क्रम में मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी में लिये गये निर्णयों की पालना शीघ्र किये जाने के निर्देश उपायुक्तों को दिये गये। एजेण्डा सं. 64:11, 67:8, 67:8(6), 82:4 व 82:8 के प्रकरणों में पालना रिपोर्ट लम्बे समय से प्राप्त नहीं हो रही है। जिस पर आयुक्त महोदय ने अप्रसन्नता जाहिर की व सभी उपायुक्तों को आगामी बैठक से पूर्व समस्त पालना रिपोर्ट अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही अनुपालना से शेष प्रकरणों की समीक्षा अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को अपने स्तर पर करने के निर्देश दिये।
2.	9	90:2	जयपुर शहर के लिये अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर शहर के लिए अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण हेतु जविप्रा की निलय कुन्ज आवासीय योजना में भूखण्ड सं. 1 के पूर्व दिशा में स्थित पब्लिक फेसिलिटी क्षेत्रफल 3715.70 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि नगर निगम जयपुर को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। इसका अनुमोदन राज्य सरकार से लिया

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जावे। नगर निगम को दिये जाने वाली 15 प्रतिशत राशि के विरूद्ध लेय राशि का समायोजन किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
3.	9	90:3	जोन 9 के क्षेत्राधिकार में ग्राम पंचायत (गोनेर, बूडथल, दांतली) में भूमि सेटअपार्ट करने बाबत।	एजेण्डा नोट के बिन्दु सं. 4, 5 व 1(आबादी विस्तार व सामुदायिक भवन के प्रकरणों का उपायुक्त द्वारा पुनः मौका देखकर परीक्षणोपरान्त पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। शेष प्रस्तावों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
4.	9	90:4	नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम केन्द्र की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की दर निर्धारण के संबंध में।	नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम केन्द्र की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि रामनगरिया विस्तार योजना के बाबत निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.08.12 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण को नगर निगम सीमा क्षेत्र में भूमि आवंटन का अधिकार नहीं है। अतः राज्य सरकार को अवगत कराया जावे।
5.	12	90:5	ग्राम महेशपुरा तहसील आमेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महेशपुरा को खैल मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत।	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महेशपुरा को खसरा नं. 538 रकबा 1.10 हेक्टे. में से नगरीय विकास विभाग के मापदण्डानुसार 2000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
6.	13	90:6	ग्राम पंचायत चिताणुकलॉ को आई.टी. केन्द्र व राजीव गॉधी ई–सेवा केन्द्र हेतु ग्राम चिताणुकलॉ तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 रकबा 13.54 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम चिताणुकलॉ के खसरा नं. 1181 रकबा 13.54 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आई.टी. केन्द्र व राजीव गांधी ई–सेवा केन्द्र को आवंटित की जा चुकी है। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे।
7.	13	90:7	राजकीय भूमि खसरा नं. 1563 ग्राम बस्सी तहसील बस्सी में से 3742 वर्गगज भूमि का आवंटन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बस्सी को किये जाने के संबंध में।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बस्सी को खसरा नं. 1563 ग्राम बस्सी तहसील बस्सी में से 3742 वर्गगज भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे। प्रकरण की महत्ता को देखते हुए भूमि का कब्जा विभाग को शीघ्र दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।
8.	13	90:8	ग्राम पंचायत सेवापुरा को राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर हेतु राजस्व ग्राम सेवापुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 3/2 रकबा 0.23 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	ग्राम सेवापुरा के खसरा नं. 3/2 रकबा 0.23 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आई. टी. केन्द्र व राजीव गांधी ई–सेवा केन्द्र को आवंटित की जा चुकी है। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे।
9.	13	90:9	राणा राजपूत सेवा समिति को ग्राम बढारना तहसील आमेर प्रोजेक्ट सैल द्वारा सृजित योजना में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत।	राणा राजपूत सेवा समिति को एलपीसी की 49वीं बैठक दिनांक 19.09.08 में ग्राम बोयतावाला के खसरा नं. 55/1 में से 2500 वर्गगज भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया था, किन्तु उक्त भूमि पर नरेगा योजना में स्थाई तालाब का निर्माण करा दिये जाने के कारण उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया था। राणा राजपूत सेवा समिति द्वारा उक्त भूमि के बदले में ग्राम बढारना की 3000 वर्गमीटर भूमि आंवटन की मांग की गई है। राज्य सरकार की नवीन नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार समाज को सामाजिक कार्य हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकती है। ग्राम

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				बढारना नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.08.12 के अनुसार जविप्रा संस्था को भूमि आवंटन करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः प्रकरण मार्गदर्शन व निर्णय हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
10.	13	90:10	केन्द्र सरकार की योजना के तहत ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ में नये औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।	संस्थान को ग्राम जमवारामगढ के खसरा नं. 544 में से 9000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि आवंटन का मापदण्ड नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.11 में उल्लेखित नहीं है। अतः प्रकरण में निःशुल्क आवंटन व मापदण्ड के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
11.	13	90:11	प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर 2010 के कैम्प में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बूनकर बस्ती को ग्राम कूकस के खसरा नं. 323 में आवंटित भूमि के स्थान पर खसरा नं. 118 में से भूमि आवंटित करने बाबत।	प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर 2010 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बूनकर बस्ती ग्राम कूकस को खसरा नं. 323 में से 0.25 हेक्टे. भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। सरपंच ग्राम पंचायत कूकस ने उक्त भूमि के बजाय खसरा नं. 118 में से 0.25 हेक्टे. भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। अतः प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर 2010 में किया गया आरक्षण निरस्त करते हुए खसरा नं. 118 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे।
12.	13	90:12	श्री सोहन लाल दोतोलिया, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बिलौंची वाया मौरीजा जिला जयपुर को 200 व.मी. भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्री सोहन लाल दोतोलिया, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–204 से 222 एवं 198 से 201 में से 1 भूखण्ड 220 वर्गमीटर का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि नियमों में 200 वर्गमीटर भूमि ही आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जा सकती है, किन्तु 220 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण अधिक आवंटित क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर के आवंटन व दर के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
13.	10	90:13	श्री कालीचरण पुत्र मधाराम को योजना ऋषि गालव नगर में क्वार्टर सं. 302 आवंटन करने एवं श्री राधामोहन सैन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद को पालडीमीणा योजना में भूखण्ड संख्या ई–239 से ई–250 में से कोई एक भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन 10 के प्रस्तावानुसार ऋषि गालव नगर के क्वार्टर सं. 302 पर वर्तमान में श्री कालीचरण काबिज होने के कारण आवास सं. 302 श्री कालीचरण को एवं पालडीमीणा योजना के भूखण्ड सं. ई–239 से ई–250 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर में से कोई एक भूखण्ड श्री राधामोहन सैन को पूर्व में कच्ची बस्ती के विस्थापितों से ली गई राशि के समान राशि पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	14	90:14	गांधी मेमोरियल चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी जयपुर को ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तह. चाकसू के खसरा नं. 710 रकबा 3.71 हेक्टे., 717 रकबा 1.34 हेक्टे., 718 रकबा 2.67 हेक्टे., 718/759 रकबा 0.10 हेक्टे. 728 रकबा 2.83 हेक्टे. किता 5 कुल रकबा 10.65 हेक्ट. की भूमि में से 10.00 हेक्टे. चिकित्सा महाविद्यालय हेतु आवंटित किये जाने बाबत।	संस्था चिकित्सा महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन चाहती है। संस्था ने चिकित्सा विभाग की अनुशंषा प्रस्तुत नहीं की है। राज्य सरकार की नवीन नीति के अन्तर्गत पॉलिसी टू प्रमोट प्राईवेट इन्वेस्टमेन्ट ईन हेल्थकेयर फेसेलिटीज 2006 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण इस नीति के अन्तर्गत कवर न होने के कारण निर्णय स्थगित किया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

15.	14	90:15	श्री सूरजभान पुत्र हनुमानाराम को पार्थ नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–335 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का मौके पर क्षेत्रफल 45.57 वर्गमीटर बढ जाने पर आवंटी द्वारा लेने से मना करने तथा समान क्षेत्रफल 162.00 व.मी. का योजना में भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में 120.00 व.मी. का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री सूरजभान पुत्र हनुमानाराम को पार्थ नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–335 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर आवंटित किया गया था, किन्तु भूखण्ड का क्षेत्रफल 45.57 वर्गमीटर बढ जाने के कारण आवंटी ने लेने से मना कर दिया। योजना में 162 वर्गमीटर का अन्य भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आवटी ने 120 वर्गमीटर का भूखण्ड लेने की सहमति प्रदान की है। अतः योजना में रिक्त भूखण्ड सं. सी–758 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर समान चौडाई की सडक पर स्थित होने के कारण विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
16.	14	90:16	सांगा शिक्षा समिति को निजी विश्वविद्यालय "महाराजा विश्वविद्यालय" हेतु ग्राम चितौडा तह. फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड सं. यू–2 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टे. भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14.10.11 में प्रकरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति में निर्णय कराकर उचित अभिशंषा के साथ भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सांगा शिक्षा समिति को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम चितौडा तह. फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड सं. यू–2 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टे. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने की अभिशंषा राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	14	90:17	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय हेतु ग्राम चित्तौडा तह. फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टे. भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय हेतु ग्राम चित्तौडा तह. फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भूखण्ड सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टे. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने की अभिशंषा बाहय विकास शुल्क जविप्रा को देने की शर्त पर राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया।
18.	13	90:18	श्रीमती प्रेम कुमारी आहुजा पत्नि श्री जगन्नाथ आहुजा राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापिका को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्रीमती प्रेम कुमारी आहुजा पत्नि श्री जगन्नाथ आहुजा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–210 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि नियमों में 200 वर्गमीटर भूमि ही आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जा सकती है, किन्तु 220 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण अधिक आवंटित क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर के आवंटन व दर के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
19.	12	90:19	प्रान्तीय भाट भाण्ड राणा ढोली नट समाज विकास समिति को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु 10 बीघा भूमि ग्राम मूण्डियारामसर में निःशुल्क आवंटन की मांग के क्रम में।	प्रान्तीय भाट भाण्ड राणा ढोली नट समाज विकास समिति को एलपीसी की बैठक दिनांक 25.04.11 में ग्राम मूण्डियारामसर के खसरा नं. 159/1 में से 10 हजार वर्गमीटर भूमि छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.06.11 से यह प्रकरण जविप्रा को अपने स्तर पर आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के प्रावधानानुसार आवंटन की कार्यवाही करने हेतु भिजवाया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.08.12 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण आवासीय आरक्षित दर अथवा इससे कम दर पर निजी संस्थाओं को भूमि आंवटन करने हेतु सक्षम नहीं है। प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक

ति० माथुर (एल.पी.सी.)
पुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प–3(667)नविवि/3/2011 दिनांक 01.08.11 द्वारा निःशुल्क आवंटन के क्रम में प्रस्ताव चाहा गया है। नवीन आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार सामुदायिक भवन हेतु संस्था को 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकती है। प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है। अतः प्रकरण राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
20.	13	90:20	कस्बा चोंमू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ट्रोमा अस्पताल हेतु कस्बा चौमू के खसरा नं. 3144, 3145, 3147/7646, 3149/2, 3150, 3151/2 किता 6 रकबा 4.46 हेक्टे. किस्म चरागाह में से आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ट्रोमा अस्पताल हेतु कस्बा चौमू के खसरा नं. 3144, 3145, 3147/7646, 3149/2, 3150, 3151/2 किता 6 रकबा 4.46 हेक्टे. किस्म चरागाह में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे।
21.	13	90:21	औधोगिक क्षेत्र कूकस के विस्तार हेतु अवाप्त की गई भूमि के मध्य छूटा रकबा खसरा नम्बरान किता 5 रकबा 0.92 हैक्टे. औधोगिक प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने बाबत।	औधोगिक क्षेत्र कूकस के विस्तार हेतु अवाप्त की गई भूमि के मध्य छूटा रकबा खसरा नम्बर 1574 मिन, 1575, 1577, 1602 एवं 1812 मिन किता 5 रकबा 0.92 हैक्टे. भूमि को औधोगिक नियोजन की दृष्टि से रीको को (औधोगिक आरक्षित दर पर) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22.	13	90:22	श्रीमति पारी टिलवानी पत्नि स्व. श्री वासुदेव मेघानी, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी को भूखण्ड आवंटन किये जाने के क्रम में।	श्रीमति पारी टिलवानी पत्नि स्व. श्री वासुदेव मेघानी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–213 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि नियमों में 200 वर्गमीटर भूमि ही आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जा सकती है, किन्तु 220 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण अधिक आवंटित क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर के आवंटन व दर के संबंघ में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
23.	13	90:23	श्री भंवर लाल कुम्हार पुत्र श्री कजोडमल, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री भंवर लाल कुम्हार पुत्र श्री कजोडमल, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–212 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि नियमों में 200 वर्गमीटर भूमि ही आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जा सकती है, किन्तु 220 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण अधिक आवंटित क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर के आवंटन व दर के संबंघ में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
24.	13	90:24	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री मुकन्दराम, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी को भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री मुकन्दराम, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अध्यापक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–211 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। चूकि नियमों में 200 वर्गमीटर भूमि

तं० आयुक्त (एम.पी.सी.)
र विकास प्राधिकरण, जयपुर

				ही आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जा सकती है, किन्तु 220 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण अधिक आवंटित क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर के आवंटन व दर के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
25.	9	90:25	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड सं. सी–31 के स्थान पर भूखण्ड सं. सी–30–एच का आवंटन करने बाबत।	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड सं. सी–31 के स्थान पर भूखण्ड सं. सी–30–एच समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित होने के कारण पूर्वनिर्धारित शर्तो पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

26.	9	90:25(1)	रामनगरिया विस्तार योजना में श्री लखेश्वर चौहान को आवंटित भूखण्ड सं. बी–178 के स्थान पर सी–1 विनिमय करने बाबत।	योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड सं. बी–178 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का कब्जा पत्र व पट्टा जारी नहीं किया जा सका। अतः इसी योजना में श्री लखेश्वर चौहान को आवंटित भूखण्ड सं. बी–178 के स्थान पर सी–1 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
27.	9	90:25(2)	निलय कुन्ज योजना में श्री सज्जनसिंह पुत्र श्री देवकरण को आवंटित भूखण्ड सं. 144 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड सं. 144 से संबंधित खसरा नं. 1107 का वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं संबंधित खातेदार द्वारा भूमि का कब्जा जविप्रा को सुपुर्द नहीं किया गया है। इसी कारण आवंटी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। अतः निलय कुन्ज योजना में श्री सज्जनसिंह पुत्र श्री देवकरण को आवंटित भूखण्ड सं. 144 के स्थान पर योजना के भूखण्ड सं. 46, 245 एवं 261 क्षेत्रफल 225 वर्गमीटर में से कोई एक भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
28.	1	90:25(3)	पाथेय कण संस्था को भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रकरण स्थगित किया गया।
29.	9	90:25(4)	200 फीट चौडी एयरपोर्ट रोड में अवाप्त की गई भूमि ग्राम बुद्धसिंहपुरा के खसरा नम्बर 368/2 रकबा 0.63 हेक्टे. भूमि के बदले खातेदारों को धारा 44 के तहत शेष रही 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।	200 फीट चौडी एयरपोर्ट रोड में अवाप्त की गई भूमि ग्राम बुद्धसिंहपुरा के खसरा नम्बर 368/2 रकबा 0.63 हेक्टे. भूमि के बदले खातेदारों को धारा 44 के तहत शेष रही 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूखण्ड दिये जाने है। खातेदार गंगा देवी, रामकल्याण व रामसहाय को आवंटित दुकानों के क्षेत्रफल में प्रत्येक के 7.11 वर्गमीटर एवं श्री प्रहलाद को आवंटित क्षेत्रफल में 12.97 वर्गमीटर की बढोत्तरी होने के कारण बढा हुआ क्षेत्रफल व्यवसायिक दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। ऐसे समस्त प्रकरणों का जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत अनुमोदन जविप्रा की उच्चाधिकार समिति (अथोरिटी) से करवाया जावे।
30.	14	90:25(5)	श्री मुन्ना सिंह तोमर को रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड सं. ए–527 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर माननीय	श्री मुन्ना सिंह तोमर को रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड सं. ए–527 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण इसी योजना के समान माप व

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	समान चौडाई के रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड सं. ए–166 व ए–564 में से कोई एक भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
31.	9	90:25(6)	श्रीमती सुनीता बुद्धिराजा को निलय कुन्ज योजना में आवंटित भूखण्ड सं. 130 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्रीमती सुनीता बुद्धिराजा को निलय कुन्ज योजना में आवंटित भूखण्ड सं. 130 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी रोड पर स्थित था। उक्त भूखण्ड खसरा नं. 1107 में स्थित होने व इससे संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवंटी को कब्जा नहीं दिया जा सका। आवंटी द्वारा अन्यत्र भूखण्ड आवंटन का अनुरोध करने पर 18 मीटर चौडी रोड पर कोई अविवादित भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण 24 मीटर रोड पर उपलब्ध भूखण्ड सं. 219 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सिचव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 90वी बैठक दिनांक 28.09.12 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री जे.बी. जाखड, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–II)	सदस्य
5.	श्री ओ0पी0 गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री दिनेश कुमार पंवार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
9.	श्री कैलाश चन्द्र यादव, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
10.	श्री औंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त जोन–9 व 10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
13.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित